प्रशिक्षण

दायित्व

चुनाव प्रक्रिया

विषेष सामग्रिया

संबंधित प्रपत्र

ई.व्ही.एम,VVPAT का संचालन

PB

www.rajteachers.com

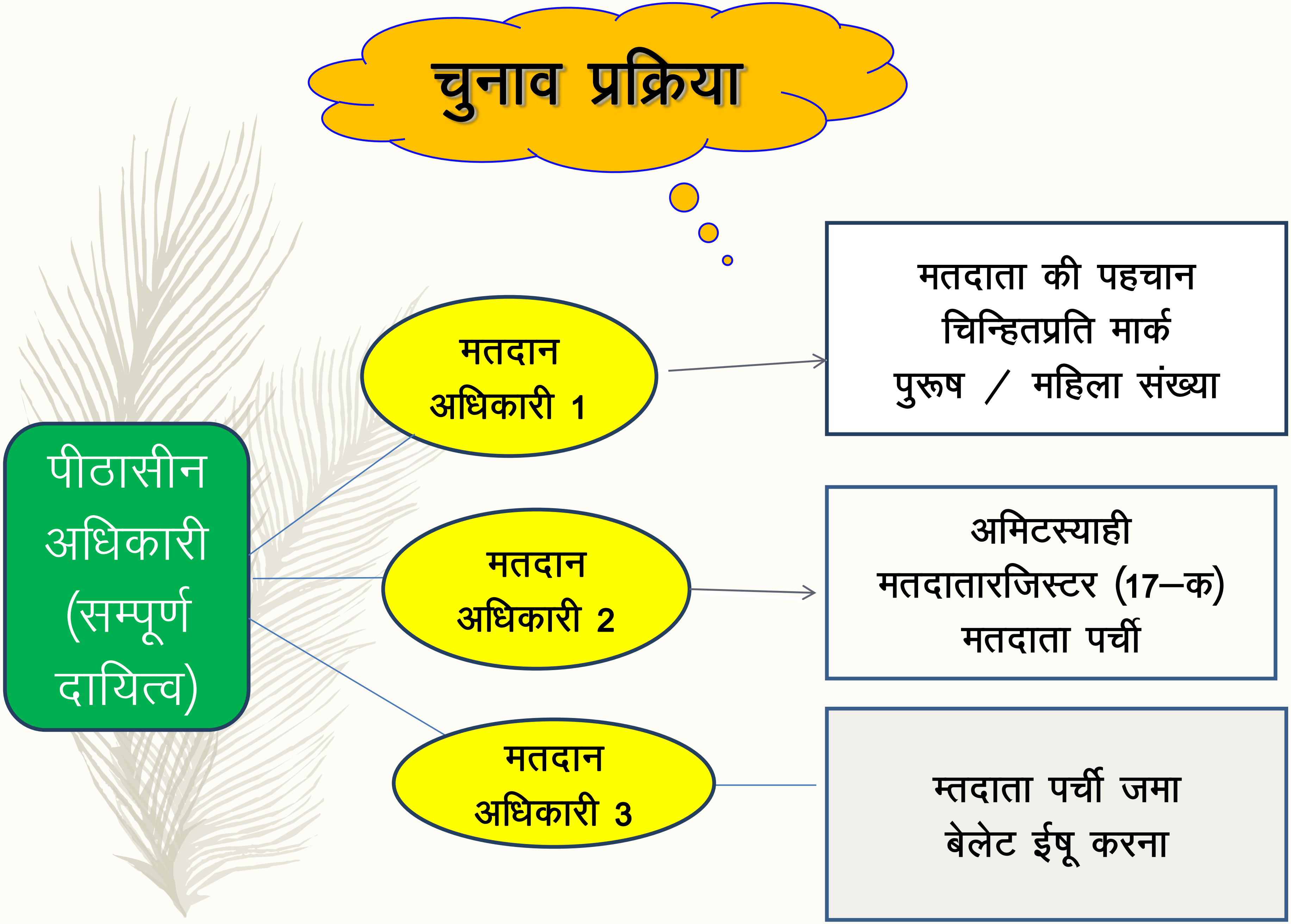

www.rajteachers.com

मतदान प्रक्रिया

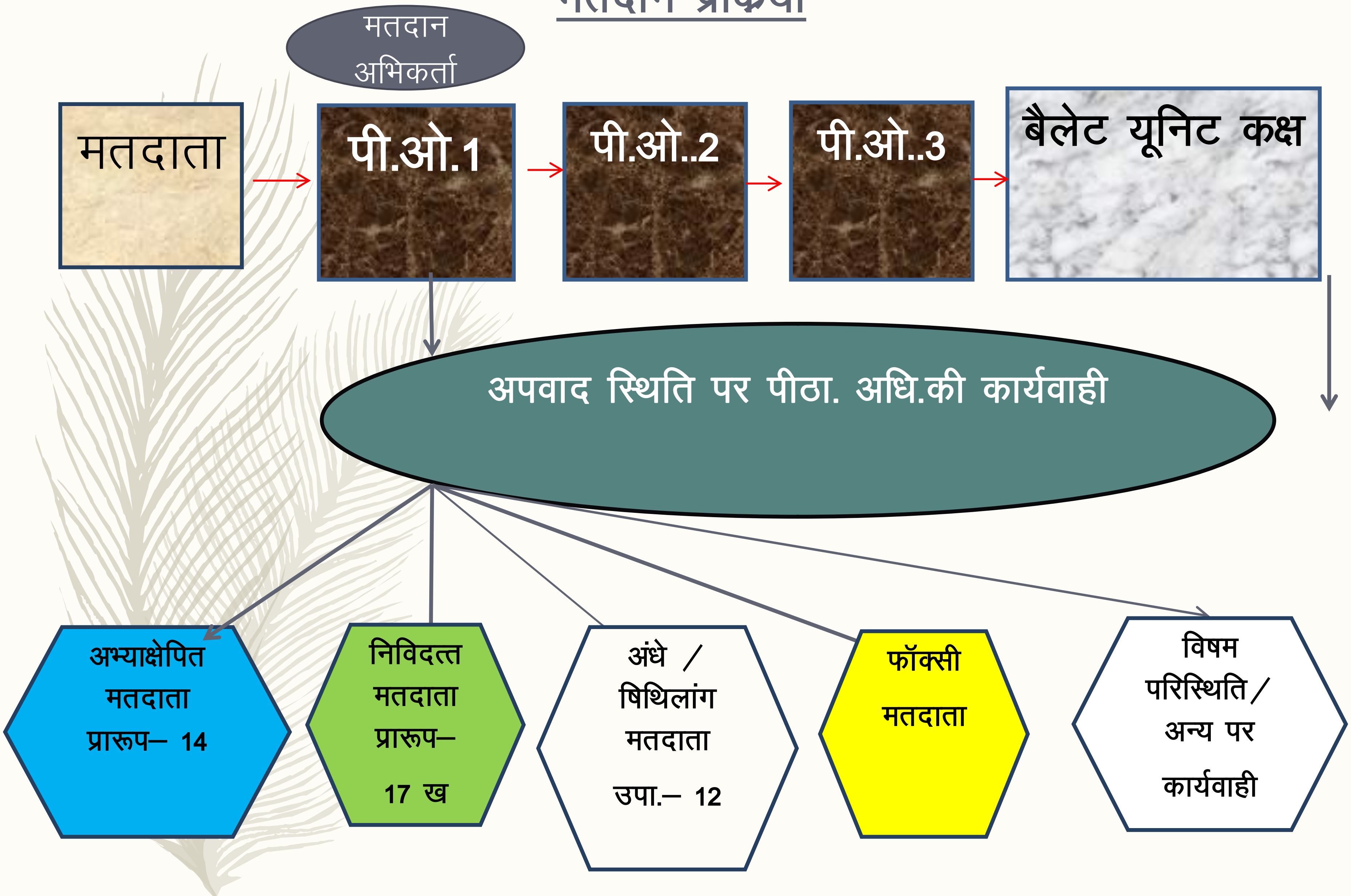

मतदान अभिकर्ता
मतदाता
पी.ओ.1
पी.ओ..2
पी.ओ..3
बैलेट यूनिट कक्ष
अपवाद स्थिति पर पीठा. अधि.की कार्यवाही
अभ्याक्षेपित मतदाता प्रारूप– 14
निविदत्त मतदाता प्रारूप– 17 ख
अंधे / षिथिलांग मतदाता उपा.– 12
फॉक्सी मतदाता
विषम परिस्थिति / अन्य पर कार्यवाही

पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य

मतदान प्रक्रिया का संचालन त्रुटिरहित, निष्पक्ष, तटस्थ, स्वतंत्र

केंद्र का प्रभारी एवं निर्वाचन संचालन दल का मुखिया

सामग्री प्राप्त करने से सामग्री जमा करने हेतु उत्तरदायी

मतदान अधिकारी क्रमांक–1

निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करने

चिन्हित प्रति का प्रभारी

निर्वाचक नामावली में चिन्हाकन

मतदान अधिकारी क्रमांक–2

- अमिट स्याही का प्रभारी
- मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अमिट स्याही लगाना
- प्राक्सी वोटर के बांये हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाना
- मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि

मतदाताओं का रजिस्टर (प्रारूप 17–क) का प्रभारी

मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करना

मतदान अधिकारी क्रमांक–3

*

- कंट्रोल यूनिट (C.U.) का प्रभारी

**

- मतदाता को जारी मतदान पर्ची जो मतदान अधिकारी क्रमांक–2 द्वारा दी गई है मतदाता से प्राप्त कर क्रमानुसार मतदाता को बैलेट जारी करना

**

- प्राप्त मतदान पर्ची को क्रमानुसार रखना
- मतदाता को मतदान कक्ष में जाने एवं मत अंकित करने की अनुमति देना

*

विषेष सामग्रिया

कंट्रोल यूनिट

बैलेट यूनिट

VVPAT

पीठासीन अधिकारी डायरी

हरी पत्र मुद्रा

पेपर स्ट्रीप सील

निविदत्त मतपत्र

केन्द्र की सील

स्पेशल टैग

अमिट स्याही

चिन्हित प्रति एवं अतिरिक्त प्रति

पीतल की सील

ब्रेल लिपि डमीमतपत्र

पिंक पेपर सील

काला लिफाफा

प्लास्टिक बॉक्स

मॉक पोल सील

मतदान प्रकोष्ठ

विजीटर सीट

16–बिंदु का प्रपत्र

NOTE-- जिन सामग्री में क्रमांक मुद्रित है, उनका मिलान आवश्यक रूप से कर, उनके क्रमांको को अपनी पर्सनल डायरी में नोट करना

मतदान केन्द्र
पूर्व दिवस कार्यवाही

मतदान केन्द्र
का निरीक्षण

चुनाव सामग्री
निरीक्षण

100 मीटर के घेरे का निरीक्षण
कर प्रचार–प्रसार से संबंधित
सामग्रियों को हटाना

www.rajteachers.com

केन्द्र से 200 मी. की दूरी को चिन्हित कर, इसके बाहर ही राजनैतिक पार्टियों के पण्डाल होना

उपाबंध–6 के अनुसार या कक्ष की बनावट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना

नोटिस बोर्ड में प्रारूप –7, निर्वाचकों की विषिष्टियों का नोटिस, मतदान संबंधी आवष्यक निर्देष, मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम, मतदाता की सूची, मतदान का समय एवं दिनांक, यथास्थिति चस्पा *करना*

विभिन्न प्रपत्रों को संबंधित लिफाफों में कुछ आवश्यक जानकारी प्रविष्टि करना (पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो)

मतदान केन्द्र पर
किसी भी पार्टी
के प्रतीक चिन्ह युक्त लगी
सामग्री को हटाया जावे या उसे
छुपाना

मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ
समय के 1 घंटे पूर्व
अनिवार्यतः मतदान केन्द में उपस्थित
होने हेतु कहना

मतदान कक्ष में अग्नि
प्रज्जवलित
सामग्री का उपयोग
न करना

मतदान कक्ष में
ही मतदान
दल का विश्राम
करना

बैलेट यूनिट ,VVPAT और नियंत्रण यूनिट को जोड़कर मतदान दल द्वारा मॉक पोल (दिखावटी मतदान) नही कया जाना

P.B.

फार्म–12 प्राप्त किया जाना :–

- फोटो प्राप्त करने वाले दल के द्वारा फोटो के साथ –साथ फार्म–12 भी प्राप्त किया जावेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनकी नियुक्ति आदेश के साथ फार्म– 12 भेंजे गये है।

- प्रशिक्षण स्थल पर फार्म – 12 रखना होगा ताकि किसी कर्मचारी के मांगे जाने पर उसे फार्म– 12 मौके पर ही उपलब्ध कराया जा सके । फार्म – 12 प्राप्त करते समय यह आवश्यक रूप से देख लेंवे कि आवेदक द्वारा फार्म – 12 की सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण की गई है /संशोधित कर प्रमाणित कर दी गई है। अपूर्ण फार्म – 12 संबंधित कर्मचारी को विनम्रतापूर्वक वापस कर देवे और उनसे समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण करने का अनुरोध करें।

www.rajteachers.com

- आवेदन प्रारूप–12 वितरित करना
- जिसे द्वितीय प्रषिक्षण के समय पूर्ण रूप से भरकर जमा करना
- आवेदन पत्र में अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम,भाग संख्या तथा निर्वाचक नामावली का सरल क्रमांक भरना
- पते के स्थान पर अपना पद नाम एवं कार्यालय का ही पता भरना
- आबंटित मतदान दल क्रं. एवं अपना मोबाइल नं. भी लिखना
- आवेदन प्रारूप के साथ द्वितीय प्रषिक्षण की आदेष की छाया प्रति जमा करना

www.rajteachers.com

मतदान दिवस पर
मतदान संबंधी कार्यवाही

मतदान प्रारंभ होने के पूर्व

- ❖ मतदान प्रारंभ समय के 1 घंटे पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में उपस्थित होना
- ❖ मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप–10 में प्राप्त कर एवं अभिज्ञान पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करना

मॉकपोल क्रमानुसार प्रक्रिया

सी यू के क्लियर बटन को दबाये

सभी अभ्यार्थियों के लिये – 0 का प्रदर्शन होगा

वीवीपैट के खाली कंपार्टमेंट को दिखायें

www.rajteachers.com

मॉकपोल क्रमानुसार प्रक्रिया

मतदान कंपार्टमेंट में एक मतदान अधिकारी एवं सभी मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहें।

मतदान अभिकर्ता अपनी पंसद के अनुसार बठन दबाये सभी नीले बटन कम से कम एक बार दबाये जायें।

कम से कम 50 मत डालें जाए।

मॉकपोल क्रमानुसार प्रक्रिया

CU के " **Close**"बटन को दबाएं तत्पश्चात् **Result**

CU के परिणाम तथा **VVPAT** पेपर स्लिप की तुलना कर

CU के **CLEAR** बटन को दबाए

मॉकपोल क्रमानुसार प्रक्रिया

वीवीपैट पेपर स्लिप कम्पार्टमेंट को खाली करे

↓

VVPAT पेपर स्लिप के पृष्ठ भाग में ''मॉक पोल पेपर स्लिप'' का स्टाम्प लगायें

↓

स्टाम्प लगे सभी स्लिप को विशेष काले लिफाफे में रखकर मुहरबंद करें। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता लिफाफे पर हस्ताक्षर करें।

↓

www.rajteachers.com

मॉकपोल क्रमानुसार प्रक्रिया

लिफाफे के ऊपर मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक, **AC** का नाम व क्रमांक. मतदान की तिथि के साथ"मॉक पोल की **VVPAT** पेपर स्लिप" लिखें।

↓

लिफाफे को विशेष प्लास्टिक बक्से में रखें। इसे पिंक पेपर सील द्वारा मुहरबंद करें। पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ता स्लिप पर हस्ताक्षर करें।

↓

प्लास्टिक बक्से पर मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक, **AC** का नाम व क्रमांक, मतदान की तिथि अंकित करे

↓

www.rajteachers.com

मॉकपोल क्रमानुसार प्रक्रिया

मॉक पोल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करें।

सीयू, वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को मोहर बंद करें।

मतदान चालू होने पर मतदान केन्द्र पर की जाने वाली कार्यवाही
मतदान अधिकारी क्रमांक – 1

- मतदाता का नाम जोर से बोलना, जिससे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं आदि को मतदाता की सही पहचान के बारे मे समाधान करने मे मदद हो तत्पष्चात निर्वाचन नामावाली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढना

- मतदाता की पहचान का सत्यापन इपिक कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा अन्य पहचान कार्ड / बी.एल.ओ. से प्राप्त कार्ड आदि से करना

www.rajteachers.com

- निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के समक्ष मार्किंग निम्नानुसार करना :–

  महिला मतदाता होने पर मार्किंग के साथ निर्वाचक नामावली क्रमांक को गोल करना

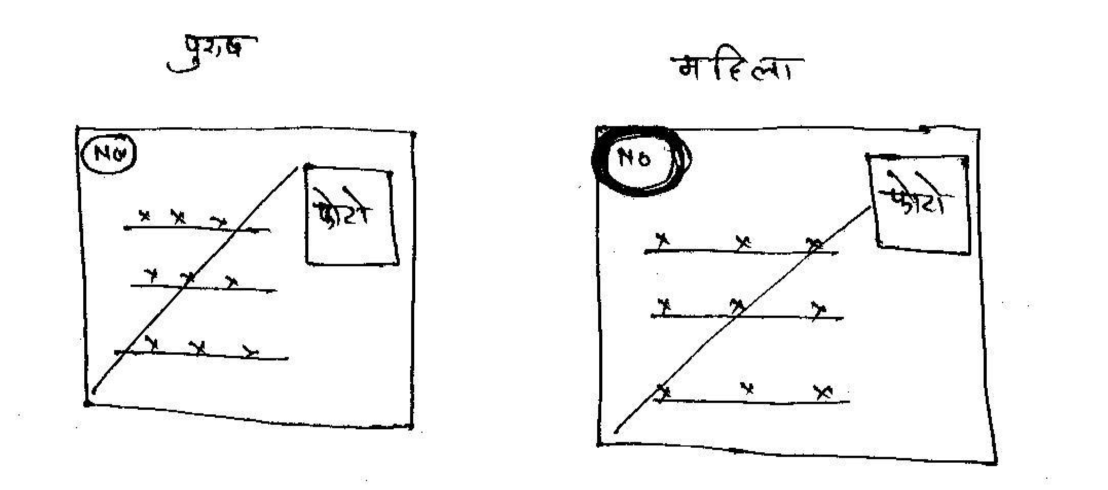

- मतदाता की पहचान सुनिष्चित करने की बाद मतदान अधिकारी क्रमांक –2 के पास भेजना
- पहचान संबंधी समाधान न होने की दषा में मतदाता को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पहुचाना

www.rajteachers.com

मतदान अधिकारी क्रमांक –2

- मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगायेगा। यदि बाये हाथ की तर्जनी न हो तो उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर अमिट स्याही लगाये जो उसके बाये हाथ में हो।

अमिट स्याही लगाने का तरीका

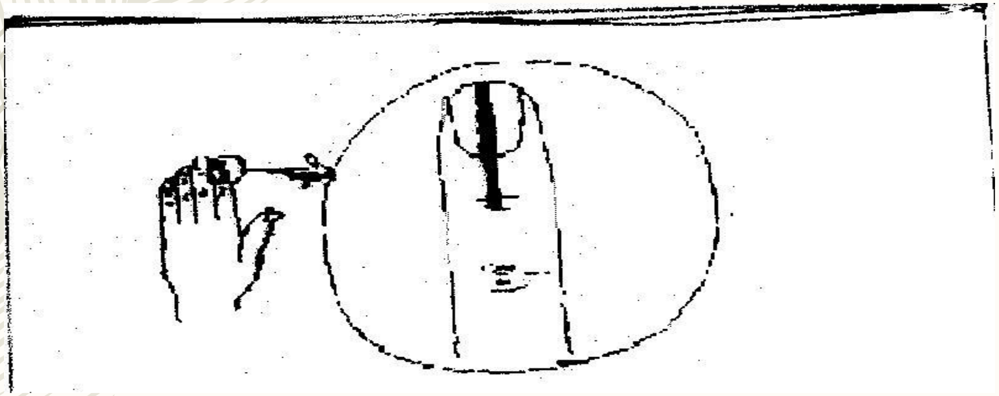

- बाया हाथ न होने की स्थिति में यही प्रक्रिया दाये हाथ में सम्पन्न करना

www.rajteachers.com

- दोनो हाथों की उंगली न होने पर बाये हाथ के ठूॅठ पर अमिट स्याही लगा ना और ऐसे प्रकरण में मतदाता के साथी के हस्ताक्षर/अंगुठा मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर कॉलम में अंकित कराना
- मतदाता रजिस्टर में मतदाता का निर्वाचक नामावाली का सरल क्रमांक, मतदाता का पूर्ण हस्ताक्षर जों स्पष्ट पढा जावें या बाये हाथ का अंगुठा लेकर टिप्पणी के कॉलम में निम्नांकित प्रविष्टयॉ करेगा :–
  1. इपिक कार्ड/अन्य पहचान कार्ड प्रविष्टि ।
  2. मतदाता मत देने से इंकार करे तो उसकी प्रविष्टि कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर लेना
- मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करना एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास पहुंचाना

मतदान अधिकारी क्रमांक –3

- मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर अमिट स्याही की जांच कर उसे मतदान हेतु अनुज्ञात करना
- बैलेट बटन दबाकर वोट जारी करना
- मतदाता द्वारा मतदान कक्ष में रखी बैलेट युनिट से मतांकन करने हेतु मतांकन कक्ष में जाने हेतु अनुज्ञात करना
- मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट में अपने मनपंसद अभ्यर्थि को वोट देने उपरांत वीवीपैट में दिखने वाली पर्चियॉ का अवलोकन (7 सेकेंड) करना
- बीप की आवाज आ जाने और कंटोल यूनिट की बिजी लैंप बंद होने के उपरांत मतदाता को मतदान बूथ से बाहर जाने के लिए निर्देषित करना
- अमिट स्याही की जांच कर मतदाता को लाईनबद्ध होकर कक्ष से बाहर जाने देना

www.rajteachers.com

मतदान प्रक्रिया दौरान विशेष परिस्थितियों में की जाने वाली कार्यवाही

अभ्याक्षेपित मत

निविदत्त मत

टेस्टिंग मत

मतदान प्रक्रिया दौरान विशेष परिस्थितियों में की जाने वाली कार्यवाही

प्रोक्सी वोटर

दिव्यांग मतदाता

मशीन की खराबी

मतदाता की आयु
कम दिखाई दे

अंधे तथा शिथिलांग
मतदाता

मतदान केन्द्र में बलवा,बूथ
कब्जा, प्राकृतिक आपदा

अभ्याक्षेपित मत

- किसी मतदाता को पहचान के बारे में किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा चुनौती दी जावें तो चुनौती तब तक स्वीकार न करे जब तक कि वह 2/– रूपये नकद जमा न करे

  रसीद पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जावेगी एवं पीठासीन अधिकारी उस मतदाता की पहचान निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर करेगा

प्रारूप 14 में उस मतदाता / अभ्याक्षेपकर्ता की जानकारी यथा स्थान प्रविष्टि एवं हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने को कहेंगे यदि वह ऐसा करने से इंकार करता देता है तो उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देना

www.rajteachers.com

यदि वह हस्ताक्षर कर देता है तो चुनौतीकर्ता से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जावे कि वह जैसा दावा करता है कि मतदाता असली नहीं है

चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो चुनौती समाप्त, 2/–रू. जप्त,

उस मतदाता को सामान्य मतदाता जैसे मत डालने का अधिकार है– उसे मतांकन हेतु अनुमति देना

- चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति सही मतदाता नहीं है, तब संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने की अनुमति (चुनौती खंडन हेतु) दें ।

यदि वह मतदाता चुनौती खंडन करने में सफल हो तो सामान्य मतदाता की तरह मतांकन करने दें ।

यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यह मान लें कि चुनौती सिद्ध हो गई है। उस फर्जी मतदाता को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस कर्मी को सौंप देंगे तथा मतदान केन्द्र से संबंधित पुलिस थाने का उपाबंध–9 में एक शिकायत लिखकर दे देंगे ।

- ली गई फीस उस मतदान अभिकर्ता को जिसने चैलेंज किया है वापिस करना

www.rajteachers.com

निविदत्त मत

- ऐसा मतदाता जिसके मत का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही कर चुका है, तब वास्तविक मतदाता की पहचान का समाधान हो जाने पर पीठासीन अधिकारी को प्रदाय किये गये निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देगे

- ऐसे मतदाता को मतदान मषीन द्वारा मतदान नही कराया जावेगा।

- उसे निविदत्त् मतपत्र जारी किया जावेगा जिसके पीछे निविदत्त मतपत्र लिखा जावे

- जारी मतपत्र का लेखा निर्धारित प्रारूप–17 ख में रखा जावे

- मतदान समाप्ति पष्चात सारे प्रयोग में लाये गये निविदत्त मतपत्रो एवं प्रारूप –17 ख को लिफाफे मे रखकर सील किया जाना

www.rajteachers.com

अंधे तथा शिथिलांग मतदाता होने पर की जाने वाली प्रकिया

- मतदाता के अंधे या शिथिलांगता का समाधान होने पर उनकी इच्छानुसार मत रिकार्ड करने के लिये 18 वर्ष से अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिये नियम 49 ढ़ के अधीन अनुमति प्रदान करना

- सहयोगी साथी से उपाबंध – 12 में निर्धारित घोषणा पत्र भरवाया जाना
- एक ही व्यक्ति को एक दिन में एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाना
- साथी मतदाता के दायी हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाना।

प्राक्सी मतदाता

- जिस व्यक्ति को प्राक्सी मतदाता नियुक्ति किया गया है की सूची चिन्हित प्रति के साथ संलग्न कर दी जावेगी
- प्राक्सी मतदाता द्वारा मतदान करने पर उसके बाये हाथ की मध्यिमा में अमिट स्याही लगाई जाना
- मतदाता रजिस्टर के कॉलम –2 में प्राक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं (**P.V.**) अंकित करना
- मतदान की अन्य प्रक्रिया सामान्य मतदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होगी

www.rajteachers.com

मतदान केन्द्र में बलवा / बूथ पर कब्जा / प्राकृतिक आपदा आने पर की जाने वाली प्रकिया

- विषम परिस्थितियों में जब मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो पीठासीन अधिकारी जहां तक मतदान हो गया हो वहां तक की प्रक्रिया पूर्ण करना ।

- ईव्हीएम मषीन को सीन करना।
- पीठासीन की डायरी में घटना का विस्तृत ब्यौरा देना ।
- समस्त प्रपत्रों में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफों में निर्देशानुसार रखा जाना
- पीठासीन की डायरी में मतदान समाप्ति की घोषणा पूर्ण करना।
- समस्त प्रपत्रो में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफो में निर्देषानुसार रखा जाना।

www.rajteachers.com

टेस्ट मत

- नियम **49 MA (d)** ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है।

– मतदाता से हस्ताक्षरयुक्त लिखित घोषणा लेंगे।

– पीठासीन अधिकारी, ऐसे मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि फार्म **17 A** में करें।

– पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में टेस्ट वोट रिकार्ड करने की अनुमति दें तथा पेपर स्लिप का अवलोकन करें।

– यदि आरोप सही पाया जाता है, तो मतदान बंद कर दें तथा **RO** को सूचित करें।

– यदि आरोप सही नहीं पाया जाता है, तब इसे मतदाता, जिसके लिए ऐसे टेस्ट वोट रिकॉर्ड किए गए हैं, के नाम व सरल क्रमांक (फार्म **17 A**) में दर्ज करें।

– रिमार्क पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेवें।

– फार्म 17 **A** के भाग 1 में ऐसे टेस्ट वोट की प्रविष्टि करें।

मतदाता बीयू के बटन को दबाने के पश्चात वीवीपैट पेपर स्लिप के त्रुटिपूर्ण मुद्रण की दशा में शिकायत कर सकतें हैं

- नियम 49 **MA** ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है।
- मतदाता से हस्ताक्षरयुक्त लिखित घोषणा लेंगे।
- पीठासीन अधिकारी, ऐसे मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि फार्म **17 A** में करें।
- पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में टेस्ट वोट रिकार्ड करने की अनुमति दें तथा पेपर स्लिप का अवलोकन करें।
- यदि आरोप सही पाया जाता है, तो मतदान बंद कर दें तथा **RO** को सूचित करें।
- यदि आरोप सही नहीं पाया जाता है, तब इसे मतदाता, जिसके लिए ऐसे टेस्ट वोट रिकॉर्ड किए गए हैं, के नाम व सरल क्रमांक (फार्म **17 A**) में दर्ज करें।
- रिमार्क पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेवें।
- फार्म 17 **A** के भाग 1 में ऐसे टेस्ट वोट की प्रविष्टि करें।

www.rajteachers.com

त्रुटिपूर्ण ईवीएम/वीवीपैट

VVPAT दोषपूर्ण हो सकते हैं सुधारात्मक कदम की आवश्यकता है।

- यदि CU/BU ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो CU,BU और VVPAT के पूरे सेट को प्रतिस्थापित करें, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 1 वोट (नोटा सहित) मॉक पोल करें।
- यदि वीवीपैट खराब होती है, तो नई वीवीपैट लगाया जावेगा, तथा मॉक पोल नहीं किया जायेगा।

ASD लिस्ट के मतदाता

क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर ERO/RO द्वारा अनुपस्थित, विस्थापित तथा मृत मतदाताओं की सूची बनाना

–मतदाता को EPIC अथवा अनुमत फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहें। पीठासीन अधिकारी

–व्यक्तिगत रूप से इसका सत्यापन करें।

–मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17 A) में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे के निशान भी लेवें।

–पीठासीन अधिकारी ASD लिस्ट में से मतदान की अनुमति पाने वाले मतदाताओं का एक रिकार्ड रखेंगे तथा मतदान समाप्ति पर इसका एक प्रमाण पत्र देंगे।

www.rajteachers.com

अनौपचारिक पहचान पर्ची वाले मतदाता

मतदाता को अनौपचारिक पहचान पर्ची दे सकते है।

– यदि अनौपचारिक पहचान पर्ची में किसी अभ्यर्थी का नाम, पार्टी का नाम, पार्टी का प्रतीक चिन्ह हो,

– तो संबंधित मतदान अभिकर्ता को ऐसे उल्लंघन को समाप्त करने को कहा जावे।

– निरक्षर मतदाता होने की स्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता का नाम व सरल क्रमांक पढ़कर सुनाना चाहिए तथा वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना नाम बताने को कहना चाहिए।

– नकली मतदाता की स्थिति में ऐसे मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए।

– अधिक संख्या में महिला मतदाता (विशेषकर, पर्दानशीन) होने पर उपरोक्त कर्त्तव्यों का निर्वहन महिला मतदान अधिकारी द्वारा पृथक आवरण में करना चाहिए।

मत न देने का निर्णय करने वाले मतदाता

मतदाता फार्म 17A में विवरण दर्ज होने के बाद अपना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने उपरांत यदि मत न देने का निश्चिय करता है, तो उसे मत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

– मतदाता रजिस्टर में "मत देने से इंकार किया गया" यह रिमार्क लिखे तथा पीठासीन अधिकारी रिमार्क के नीचे हस्ताक्षर करें।

– फार्म **17 C** के भाग 1 में नियम **49- O** के मद–3 के अंतर्गत दिए स्थान पर " मतदान किए बिना चले गए" या "मत देने से इंकार किया" लिखें।

– अगर **CU** पर बैलेट बटन दबाया जाता है, तो अगला मतदाता सीधे वोट डालने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही

- मतदान समय समाप्ति के 5 मिनट पूर्व मतदान समाप्ति की घोषणा करना यदि प्रांगण में मतदाता उपस्थित हों तो उन्हें कतार में लगाया जाना
- कतार में मतदाता को खड़ा कर अंतिम मतदाता से पर्चियां बांटना, जिससे समय सीमा के बाद कोई अन्य मतदाता उसमें शामिल न हो सके
- अंतिम मतदाता के मतदान के पश्चात् –
  - क्लोज बटन के उपर का नीला केप हटाना
  - क्लोज बटन दबाना
  - डाले गये मतो की संख्या नोट करना

- क्लोज बटन के उपर नीला केप लगाना
- नियंत्रण यूनिट को स्वीच ऑफ करना एवं वीवीपैट को ट्रान्सपोर्ट मोड में रखना का
- तीनो यूनिटो को केरिंग बाक्स पर रखकर सील करना
- मतपत्र लेखा तैयार कर अभिप्रमाणित प्रति मतदान अभिकताओं को उनके हस्ताक्षर लेकर प्रदान करना
- पीठासीन अधिकारी की डायरी में आवष्यक तथ्यपूर्वक जानकारी भरते हुए प्रथम एवं द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर लेना

- मतदाता रजिस्टर – 17क में अंतिम मतदाता की जानकारी अंकित करने के पष्चात एक लम्बी लाईन खिचकर पीठासीन अधिकारी का प्रमाणिकरण करना, जिसमें – मतदाता रजिस्टर – 17क का अंतिम सरल क्र. .... हैं। इसमें उपस्थित ऐजेण्टो के हस्ताक्षर लेना एवं स्वयं करना

- अन्य प्रपत्रों में समुचित जानकारी अंकित कर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर संबंधित लिफाफों में निर्देषानुसार चस्पा / पिन लगाना

- सामग्री वापसी के अलग – अलग पेकेट तैयार करना

- अन्य शेष बची सामग्री का भी एक पैकेट तैयार करना

- निर्धारित वाहन मे दल के साथ रवाना होकर सामग्री वापसी स्थल मे पहुचकर निर्धारित काउटरों में सामग्री को जमा कर, जमा पावती प्राप्त कर ही रिलिविंग प्राप्त होने के बाद ही स्थल छोडना

पहला पैकेट – सांविधिक (परिनियत) लिफाफा

इस लिफाफे में 5 सील बंद लिफाफे रखे जावेगे, जिसमें –

- ❑ चिन्हित प्रति
- ❑ मतदाता रजिस्टर
- ❑ मतदाता पर्ची का लिफाफा
- ❑ अप्रयुक्त निविदत् मतपत्र।
- ❑ प्रयुक्त निविदत् मतपत्र एवं प्रारूप – 17 ख।

www.rajteachers.com

दूसरा पैकेट – असांविधिक (अपरिनियत) लिफाफा

इस लिफाफे में 11 सील बंद लिफाफे रखे जावेगे, जिसमें –

- चिन्हित प्रति से भिन्न अन्य निर्वाचक नामावली
- प्रारूप – 10 में अभिकर्ताओ के नियुक्ति पत्र
- प्रारूप – 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र
- प्रारूप – 14 में चुनौती दिये गये मतो की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा
- प्रारूप – 14 क में अंधे और षिथिलांग निर्वाचको की सूची एवं उनके साथियों की सूची
- निर्वाचको की आयु से संबंधित घोषणाएं एवं निर्वाचको की सूची

- चुनौती/अभ्याक्षेपित मतो की पुस्तिका और नगद राषि का लिफाफा
- अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील का लिफाफा
- अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा
- अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त, स्पेषल टैग का लिफाफा
- अप्रयुकत्स एवं क्षतिग्रस्त, स्ट्रिप्स सील का लिफाफा

www.rajteachers.com

तीसरा पैकेट

इस लिफाफे में 7 वस्तुएं रखी जावेगी, जिसमें ......

- पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका
- ई.व्ही.एम. की निर्देषिका
- अमिट स्याही सेट
- स्टाम्प पैड
- पीठासीन अधिकारी के धातु की मोहर
- निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त रबर सील
- अमिट स्याही रखने के कप (यदि प्राप्त हो)

चौथा पैकेट

इस लिफाफे में **5** लिफाफे एवं अन्य वस्तुएं रखी जावेगी, जिसमें –

- **पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के दौरान की गई घोषणा उपाबंध – 7 का लिफाफा।**
- **रिकार्ड किए गए मतपत्रों का लेखा / पेपर सील**
- **पीठासीन अधिकारी की डायरी**
- **ऐसे अन्य पत्र के लिफाफे जिसके लिए आर.ओ. द्वारा मुहरबंद पैकेट में रखने के निर्देष है**
- अन्य

महत्वपूर्ण प्ररूप / उपाबंध की जानकारी

उपाबंध / प्रारूप	संबंधित प्रक्रिया
प्रारूप – 12	डाकमत पत्र के लिए आवेदन पत्र।
प्रारूप – 12 (क)	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र।
प्रारूप – 12 (ख)	रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का मंजूरी पत्र।
प्रारूप – 13 (क)	डाकमतपत्र जारी होने पर मतदाता द्वारा घोषणा, वरिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर अभिप्रमाणिकरण।
प्रारूप – 17 (क)	मतदाता रजिस्टर
प्रारूप – 17 (ख)	निविदत्त मतो की सूची
प्रारूप – 17 (ग)	रिकार्ड किये गये मतपत्रों का लेखा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट /प्ररूप	संबंधित प्रक्रिया
उपाबंध–4	पीठासीन अधिकारी के लिए सामग्री चैक मेमो
उपाबंध–5	ई.व्ही.एम. मषीन से चुनाव होने पर सामग्री चैक मेमो।
उपाबंध–6	ई.व्ही.एम. मषीन के लिए मॉडल मतदान केन्द्र का लेआउट
उपाबंध–7	पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा।
उपाबंध–8	चैलेंज फीस की रसीद बुक।
उपाबंध–9	थाना अधिकारी को षिकायत पत्र।
उपाबंध–10	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट /प्ररूप	संबंधित प्रकिया
उपाबंध–11	आयु के संबंध में घोषणा वाले मतदाताओं की सूची
उपाबंध–12	अंधे/षिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा
उपाबंध–13	रिकार्ड किये गये मतो का लेखा।
उपाबंध–14	पीठासीन अधिकारी की डायरी
उपाबंध–15	16 बिन्दुओ का प्रपत्र।
उपाबंध–17	दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र।

www.rajteachers.com

धन्यवाद